न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व प्रथम अपील संख्या 89/2024

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. बादल खॉन पुत्र मीरखॉन 2. पठान खॉन पुत्र सादी खॉन 3. नूरे खॉन पुत्र निहाल खॉन 4. कायम खॉन पुत्र पन्नू खॉन 5. निहाल खॉन पुत्र मीर खॉन जाति– मुसलमान, निवासी– ख्याला, पोस्ट रामा, तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।		1. जिला कलेक्टर जैसलमेर 2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ जिला जैसलमेर। 3. ग्राम पंचायत रामा, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत रामा तहसील– फतेहगढ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जो जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा आदेश क्रमांक प.12 (3)( ) राज/2017/29.05.2017 पारित किया गया।

उपस्थिति

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता, अपीलाण्ट् की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. रेस्पो0 संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

:: <u>निर्णय</u> ::

दिनांकः 29 सितम्बर, 2025

1. अपील पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत रामा द्वारा ग्राम ख्याला के ख0सं0 123 में 05 बीघा भूमि विद्यालय के खेल मैदान के लिये आवंटन करने का एक तरफा प्रस्ताव पारित किया गया था तथा तहसीलदार फतेहगढ के द्वारा उक्त प्रस्ताव को उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ के द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अपनी अनुशंषा करते हुए जिला कलेक्टर जैसलमेर को अग्रेषित कर दिया गया। उक्त अनुशंषा के आधार पर जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा विद्यालय के खेल मैदान हेतु 05.00 बीघा भूमि का आवंटन अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2017 द्वारा कर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दिया गया। जिला कलेक्टर, जैसलमेर के उक्त आदेश दिनांक 29.5.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.09.2024 को प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने अपील पेश करने हेतु धारा 96 सीपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2024 पेश करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स उक्त खसरा संख्या 123 के मौके पर वर्षो से काबिज व काश्त करते आ रहे है। उस पर अपीलार्थीगण का वक्त बन्दोबस्त से पूर्व से कब्जा व काश्त है, उक्त भूमि कभी भी विद्यालय के खेल मैदान हेतु उपयोग व उपभोग में नहीं आ रही है बल्कि ग्राम पंचायत रामा के सरपंच के द्वारा राजनैतिक द्वेषता से प्रेरित होकर उक्त प्रस्ताव पारित किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर पारित अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है एवं उन्हें अपील पेश करने का कानूनी अधिकार है अतः अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने हेतु प्रस्तुत अनुमति प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया। अपीलान्ट के द्वारा अपील पेश किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये अनुमति प्रार्थना पत्र दिनांक 26.9.2024 में अंकित किये गये तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 26.9.2024 को स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3. अपीलान्ट के विद्धान अधिवक्ता ने अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2024 में यह कथन किया कि आलौच्य आदेश ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर तहसीलदार फतेहगढ के द्वारा एकतरफा मौका फर्द/मौका रिपोर्ट बनाकर पेश किया गया था जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स को नहीं रही थी। अपीलान्ट का मौके पर कब्जा काश्त होने के उपरान्त भी उन्हें मौका रिपोर्ट बनाये जाने से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया और न ही उक्त मौका रिपोर्ट मौके पर आकर तैयार की गई थी। अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 28.8.2024 को उक्त भूमि की जमाबन्दी की नकल ली गई तो ज्ञात हुआ कि अपीलार्थीगण के कब्जे वाली भूमि को जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ख्याला को खेल मैदान हेतु आवंटित कर दिया गया है। तब अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 6.9.2024 को नकल हेतु आवेदन

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

करते हुए दिनांक 9.9.2024 को नकले प्राप्त की गई। इस प्रकार आदेश की प्रथम जानकारी दिनांक से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः उक्त मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। अपीलान्ट्स उक्त खसरा संख्या 123 के मौके पर वक्त बन्दोबस्त के पूर्व वर्षो से काबिज व काश्त करते आ रहे है। उस पर अपीलार्थीगण का कब्जा व काश्त है, तथा उनकी रहवासीय ढाणी बनी हुई है। ग्राम पंचायत रामा द्वारा गलत रूप से ख0सं0 123 में विद्यालय के खेल मैदान हेतु तैयार प्रस्ताव को तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी को भेज दिया गया जिसमें मौके की जॉच किये बिना ही गलत रूप से अनुशंषा के आधार जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए उक्त भूमि का आवंटन कर दिया जो कि काबिले खारिज है।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर मौके पर वर्षो से कब्जा व काश्त अपीलान्ट का है एवं रहवासिया ढाणियां पीढियों से बनी हुई है। ग्राम पंचायत रामा के सरपंच के द्वारा राजनैतिक द्वेषता से प्रेरित होकर खेल मैदान हेतु उक्त प्रस्ताव पारित किया गया है। उक्त भूमि किसी भी रूप में खेल मैदान हेतु उपयोग व उपभोग में नहीं आ रही है। यदि उक्त भूमि का मौके पर खेल मैदान के रूप में उपयोग व उपभोग शुरू होना हो जायेगा तो अपीलार्थी को अपार नुकसान होगा। किसी भी ग्राम में किसी राजकीय भूमि पर सार्वजनिक विद्यालय के खेल मैदान हेतु उपयोग व उपभोग में आ रही होती है तो जिला कलेक्टर उसे आवंटित कर सकते है लेकिन वादग्रस्त भूमि इस प्रकार के उपयोग में नहीं आ रही थी। इस प्रकार जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2017 मौके की वास्तविकता का बिना अवलोकन किये ही पारित किया गया है जो खारिज करने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.5.2017 को निरस्त किया जावें।

6. प्रत्युतर में रेस्पोडेण्ट्स की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया कि ग्राम पंचायत रामा के सरपंच के द्वारा ग्राम ख्याला के राजकीय ख0सं0 123 किस्म बरानी

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

की भूमि में से 05.00 बीघा भूमि को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ख्याला के खेल मैदान के लिये आवंटन करने हेतु तहसीलदार फतेहगढ को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। तहसीलदार फतेहगढ के द्वारा उक्त प्रस्ताव में मौका फर्द में प्रस्तावित भूमि विद्यालय के नजदीक स्थित खसरे में उपलब्ध होने तथा अन्य किसी प्रयोजन हेतु आरक्षित नहीं होने के आधार पर भूमि आवंटित करने हेतु अनुशंषा की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ के द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अपनी अनुशंषा करते हुए जिला कलेक्टर जैसलमेर को अग्रेषित कर दिया गया। उक्त अनुशंषा के आधार पर जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा विद्यालय के खेल मैदान हेतु 05.00 बीघा भूमि का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2017 के द्वारा आवंटन किया गया है। अपीलान्ट्स अपने को उक्त भूमि पर काबिज होना बता रहे है परन्तु इस सम्बन्ध में उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/ दस्तावेज न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है, ऐसे में अपीलान्ट उक्त अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार से न तो प्रभावित है और न ही अपील पेश करने का अपीलान्ट को कोई अधिकार है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2024 अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में अंकित किये गये तथ्यों के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के संलग्न ऐसे कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये है जिससे यह साबित हो जाता हो कि उनको अपीलाधीन आदेश की जानकारी वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी की नकल दिनांक 28..8.2024 को लिये जाने पर प्रथम बार हुई हो। ऐसे में अपीलान्ट की अपील इस आधार पर भी खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट्स की मियाद बाहर होने, अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जावें तथा जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2017 को यथावत रखा जावे।

8. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया, जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2017 को इस अपील के जरिये दिनांक 26.09.2024 को चुनौती प्रस्तुत की गई है, अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.5.2017 की प्रथम बार जानकारी दिनांक

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

28.8.2024 होने सम्बन्धी जो तथ्य धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है, उनकी सत्यता के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नहीं किये गये है, मात्र कथनीय आधार पर उनको ग्रहण/स्वीकारा नहीं जा सकता है जबकि अपीलान्ट अपने को उक्त भूमि पर कब्जा/काश्त होना बता रहा है। इतने लम्बे समय तक आदेश की जानकारी न हो पाना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं माना जा सकता है।

9. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट उक्त ख0सं0 123 की भूमि पर अपना कब्जा/काश्त होना तथा रहवासीय ढाणिया इत्यादि होना बता रहे है परन्तु इस सम्बन्ध में अपीलान्ट के द्वारा अपील के संलग्न ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जो कि उनके द्वारा किये गये कब्जे को पटवारी हल्का के द्वारा राजस्व नक्शे में अथवा राजस्व रेकर्ड में दर्शाया हुआ हो। जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा ग्राम ख्याला के उक्त खसरा संख्या 123 भूमि किस्म बारानी में से 05.00 बीघा भूमि को खेल मैदान हेतु आवंटित किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत रामा के द्वारा पारित प्रस्ताव तथा राजस्व अधिकारियों यथा तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट/ अनुशंषा के आधार पर भूमि आवंटित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण का नियमों के अधीन विश्लेषण करने के उपरान्त ही खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन किये जाने के आदेश दिनांक 29.05.2017 को पारित किये गये है जो पूर्ण रूप से विधि के अनुकूल होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उक्त भूमि राजकीय भूमि होने से अपीलाण्ट की कोई Locus Standi भी नही बनती है। उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2017 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय आज दिनांक 29 सितम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर